[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 2, दिनांक 8 दिसम्बर 2012 से उद्धरण] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 17(6)/2011-केवीआई-II--केन्द्र सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए संकाय अध्यक्ष, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, डाँ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, महाराष्ट्र-444104 के अंतर्गत कृषि ढांचा विभाग के प्रोफेसर-सह-अध्यक्ष डाँ. प्रफुल्ल कुमार बाबूराव काले को दिनांक 7 अगस्त, 2012 (पूर्वाह्र) से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और उनकी नियुक्ति की अविधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

दिनेश सिंह, संयुक्त सचिव

[EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART I—SEC. 2, dated 8th December 2012]

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd November 2012

No. 17(6)/2011-KVI-II—In exercise of the powers conferred under Article 309 of Constitution of India, the Central Government is pleased to appoint Dr. Prafullakumar Baburao Kale, Professor-cum-Head, Department of Farm Structures under the Dean, Faculty of Agriculture Engineering, Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola, Maharashtra-444104 as Director of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Wardha, an Autonomous Institute under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises w.e.f. 7th August, 2012 (forenoon) and the period of appointment shall be till his attaining the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.

DINESH SINGH, Jt. Secy.